क्रम संख्या–20

संख्याः 1760/43-2-2001

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,

मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।

2—समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।

3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई, 2001

विषयः—जन-सामान्य द्वारा शासकीय पत्रावलियों का निरीक्षण—नई अगस्त क्रांति

महोदय,

प्रशासनिक सु. अनुभाग–2

शासन प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कृत संकल्प है। जन-सामान्य के मानस में प्रशासन पर अविश्वास एवं शासकीय प्रणाली के प्रति क्षुब्धता का एक कारण गोपनीयता के आधार पर किसी भी नागरिक से संबंधित पत्रावलियों को उसे नहीं दिखाया जाना है। गोपनीयता का यह आवरण विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा जन-सामान्य में प्रशासन के प्रति विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ब्रिटिश काल से शासन और जन-सामान्य के बीच डाले गये इस गोपनीयता के आवरण को 09 अगस्त, जो अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, से हटा दिया जाय एवं नागरिकों को उनसे संबंधित प्रकरणों में पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया जाये।

2—अतः यह निर्णय लिया गया है कि 09 अगस्त, 2001 से शासन के मण्डल/जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तरीय प्रत्येक ऐसे कार्यालय में जहां जन-सामान्य से संबंधित पत्रावलियों का रख-रखाव होता है, प्रत्येक नागरिक को यह सुविधा दी जाये कि वह अपने से संबंधित प्रशासकीय पत्रावली का निरीक्षण कर सके।

3—शासन के विभिन्न कार्यालयों में पत्रावलियाँ किसी व्यक्ति विशेष से अथवा किसी क्षेत्र में सामूहिक हित के कार्यों से संबंधित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित से संबंधित पत्रावलियों तथा कोई भी जन प्रतिनिधि (ग्राम सभा, क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा मा० विधायक एवं सांसद) अपने क्षेत्र की जनहित से संबंधित शासकीय पत्रावलियों का निरीक्षण कर सकेंगे।

4—शासन की मंशा है कि सामान्य तौर पर सभी पत्रावलियाँ निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जायेंगी लेकिन निम्न प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियाँ जनहित/विधिक दृष्टिकोण से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना वांछनीय नहीं होगा :–

(1) प्रथम चरण में यह आदेश पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों पर लागू नहीं होगा।

(2) सरकारी कर्मचारियों को अपने से संबंधित व्यक्तिगत प्रकरणों की पत्रावली नहीं दिखाई जायेंगी। विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में जिस पत्रावली को देखने की पूर्व से ही व्यवस्था है वह यथावत लागू रहेगी।

(3) सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध किसी व्यक्ति अथवा जन प्रतिनिधि द्वारा की गई किसी शिकायत/जांच से संबंधित पत्रावली नहीं दिखाई जायेगी। यह विदित है कि पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मा० विधायक/मा० सांसद के स्तर से प्राप्त होने वाली शिकायतों के बारे में जांच परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाता है और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी लागू रहेगी।

(4) ऐसी पत्रावलियाँ जिनके निरीक्षण के लिए पूर्व से ही प्रक्रिया निर्धारित है, इस शासनादेश से आच्छादित नहीं होंगी। उदाहरण स्वरूप विभिन्न न्यायालयों में पत्रावलियों–के निरीक्षण की जो प्रक्रिया निर्धारित है वह यथावत लागू रहेगी।

(5) ऐसी पत्रावलियाँ जिन्हें दिखाना शांति व्यवस्था/लोक व्यवस्था अथवा जनहित में वांछनीय न हो।

5—उपरोक्त के अलावा यदि अन्य किसी कारण से कार्यालयाध्यक्ष किसी पत्रावली का निरीक्षण कराना असंगत, अनुपयुक्त अथवा अनुचित पाते हैं तो उन्हें पत्रावली निरीक्षण न कराने की अनुमति जिलाधिकारी से लेनी होगी। अनुमति प्राप्त न होने पर पत्रावली का निरीक्षण कराया जायेगा।

6—पत्रावली का निरीक्षण कराने के लिए पक्रिया निर्धारित की गई है जो संलग्नक–1 में दी गई है। समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने से संबंधित कार्यालयों को तद्नुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तत्काल निर्देश जारी करें। समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी अपने मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक **30 जुलाई** के पूर्व करेंगे और उन्हें इन आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत निर्देश देंगे। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मण्डल/जनपद में स्थित सभी कार्यालयों में **09 अगस्त, 2001** से यह व्यवस्था प्रारम्भ हो जाये।

7—जनपद के सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में उपरोक्तानुसार व्यवस्थायें होने की पुष्टि स्वरूप संबंधित जिलाधिकारी को 9 अगस्त 2001 तक सूचना भेजेंगे। भविष्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के समय इस कार्य योजना, जिसका उल्लेख निरीक्षण टिप्पणी में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के समय इस कार्य योजना के सही ढंग से संचालन की प्रभावी समीक्षा की जायेगी, जिसका उल्लेख निरीक्षण टिप्पणी में भी किया जायेगा।

8—जन-सामान्य को शासन तथा प्रशासन से जोड़ने में और उसके मन में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करने में यह कार्य योजना सफल होगी। ऐसा शासन का विश्वास है। आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इस महत्वपूर्ण योजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता पर एवं सम्पूर्ण निष्ठा से सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव।

पत्रांक 1760 (1)/43-2-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—प्रशासनिक सुधार अनुभाग 1/3.

2—सामान्य प्रशासन अनुभाग।

3—गोपन अनुभाग–1।

आज्ञा से,
आशीष कुमार गोयल,
विशेष सचिव।